

कार्यालय, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर-नगर ।

आदेश

जिला कारागार में निरुद्ध बन्दियों का धारा 167 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सभी न्यायालयों का रिमाण्ड कार्य वीडियों कांफ्रेन्सिंग द्वारा निम्नानुसार अंकित माह के अनुरूप सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपराह्न 03.30 बजे से सम्पादित किया जाएगा :-

- 1- माह सितम्बर, 2019 - श्री हरेन्द्र कुमार ओझा, विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
- 2- माह अक्टूबर, 2019 - श्री विराट शिरोमणि, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नवम्, कानपुर नगर।
- 3- माह नवम्बर, 2019 - श्री मनोज कुमार-द्वितीय, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम, कानपुर नगर।
- 4- माह दिसम्बर, 2019 - श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ, कानपुर नगर।
- 5- माह जनवरी, 2020 - श्री अमित सिंह-द्वितीय, सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी०, कानपुर नगर।
- 6- माह फरवरी, 2020 - श्री प्रवीण कुमार त्यागी, अपर सिविल जज, जू०डि०प्रथम, कानपुर नगर।
- 7- माह मार्च, 2020 - सुश्री निधि यादव, महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम, कानपुर नगर।
- 8- माह अप्रैल, 2020 - श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, महानगर मजिस्ट्रेट दशम, कानपुर नगर।

दिनांक 02.09.2019

(तनु भटनागर)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
कानपुर-नगर ।

नोट- उपरोक्तानुसार अंकित माह में सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रभारी न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार रिमाण्ड कार्य सम्पादित किया जाएगा। यदि रिमाण्ड के समय किसी अन्य न्यायालय के अभियुक्त द्वारा कोई समस्या बतायी जाती है तो ऐसी स्थिति में रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जनपद न्यायाधीश को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर विभाग, को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 5- संयुक्त निदेशक अभियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 6- बार एशोसिएशन, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 7- लायर्स एशोसिएशन, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 8- समस्त सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक 02.09.2019

(तनु भटनागर)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
कानपुर-नगर ।

२
०३/०९/१९